

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(1) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NEW DELHI: THE 10³ 95

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

S.O. In exercise of the powers conferred by clause (22B) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the "United News of India" as a news agency set up in India solely for collection and distribution of news, for the purposes of said clause for the assessment years 1994-1995, 1995-1996 and 1996-1997.

Shyam Shanker
(SHYAM SHANKER)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

Notification No. 97/9

(F.No.200/117/94-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area
(Near Rajouri Garden), New Delhi-

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशनाई

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
॥ राजस्व विभाग ॥

नई दिल्ली, दिनांक १० मार्च, 1995

अधिसूचना

॥ आयकर ॥

का०आ० आयकर अधिनियम, 1961 ॥ 1961 का 43 ॥ की धारा 10 के खंड ॥ 22 ख ॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "यूनाइटेड न्यूज आफ इन्डिया" को केवल समाचारों के एकत्रीकरण तथा वितरण के लिए भारत में स्थापित एक समाचार एजेंसी के रूप में कर-निर्धारण वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के लिए उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

साधना शंकर
॥ साधना शंकर ॥

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. ५७/९ ॥ फा०सं० 200/117/94-आयकर नि०-II ॥
सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

॥ राजौरी गार्डन के समीप ॥, नई दिल्ली ॥